बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक......................../   पटना, दिनांक.......................

संoसंo–03/उoनिo (ITF-13)–12/13

प्रेषक,

अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

विषयः– वित्तीय वर्ष 2025–26 में देशभर में अलग–अलग राज्यों/केन्द्र सरकार तथा संबंधित एजेंसियों/विभागों एवं इंडिया ट्रेड प्रमोशन के माध्यम से एवं राज्य के विशेष उत्सव के अवसर पर आयोजित होनेवाला भारतीय अन्तराष्ट्रीय व्यापार मेला/मेला प्रदर्शनी/सेमिनार/एक्सपो/विभागीय योजनाओं के प्रचार–प्रसार हेतु तृतीय किस्त के रूप में उपलब्ध आवंटन राशि ₹1,05,00,000.00 (एक करोड़ पॉच लाख रूपये) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश :– स्वीकृत।

उपर्युक्त विषयक राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 में देशभर में अलग–अलग राज्यों/केन्द्र सरकार तथा संबंधित एजेंसियों/विभागों एवं इंडिया ट्रेड प्रमोशन के माध्यम से एवं राज्य के विशेष उत्सव के अवसर पर आयोजित होनेवाला भारतीय अन्तराष्ट्रीय व्यापार मेला/मेला प्रदर्शनी/सेमिनार/एक्सपो/विभागीय योजनाओं के प्रचार–प्रसार हेतु तृतीय किस्त के रूप में उपलब्ध आवंटन राशि ₹1,05,00,000.00 (एक करोड़ पॉच लाख रूपये) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. पूर्व विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–1952, दिनांक–30.07.2025 एवं स्वीकृत्यादेश संख्या–2730 दिनांक–03.10.2025 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 में क्रमशः ₹99,00,000.00 (निन्यानवे लाख रूपये) मात्र एवं ₹96,00,000.00 (छियानवे लाख रूपये) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी गई है।

3. इस राशि का व्यय समय–समय पर आवश्यकतानुसार उद्योग निदेशक, बिहार, पटना के द्वारा निर्गत आदेश के आलोक में विमुक्ति किया जायेगा।

4. उक्त स्वीकृत राशि का व्यय मुख्य शीर्ष 2851 ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 104 हस्तशिल्प उद्योग, मॉग संख्या 23, उप शीर्ष 0101 हस्तशिल्प का विकास, विपत्र कोड 23–2851001040101, विषय शीर्ष 0101–26–01 विज्ञापन और प्रकाशन मद से वित्तीय वर्ष 2025–26 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा, जिसके लिये चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में यथेष्ट बजट उपबंध उपलब्ध है।

5. उक्त स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होंगे, जो इस स्वीकृत राशि की निकासी नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना के द्वारा उद्योग मित्र के पी0एल0 खाता सं0–PBBPLA018 (प्राप्ति शीर्ष–8448001200039 में CFMS के माध्यम से अन्तरण करायेंगे। राशि की निकासी फार्म–BTC-46 पर की जायेगी।

6. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होगें, जो इसका अनुश्रवण करेंगे।

7. वित्त विभागीय पत्रांक–2561, दिनांक–17.04.98 एवं पत्रांक–7368/वि0, दिनांक–02.11.2021 के आलोक में राशि की निकासी एवं व्यय किया जायेगा तथा इन प्रपत्रों में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

क्रमशः पृष्ट–02

8. यह राज्य सरकार की एक चालू योजना है। स्वीकृत राशि निर्धारित योजना अधिसीमा के अन्तर्गत है।

9. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं0–03 / उ0नि0(IITF-13)–12 / 13 के पृ0–177 / टि0 पर दिनांक–09.01.2026 को प्राप्त है।

10. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप में सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना की स्वीकृति संचिका सं0–03 / उ0नि0 (IITF-13)–12 / 13 के पृ0–178 / टि0 पर दिनांक–13.01.2026 को प्राप्त है।

11. वित्त विभाग के परिपत्र सं0–7355 / वि0(2), दिनांक–05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन,
ह० / –
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक........................... /
03 / उ0नि0 (IITF-13)–12 / 13
पटना, दिनांक.........................

प्रतिलिपिः–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक........................... /
03 / उ0नि0 (IITF-13)–12 / 13
पटना, दिनांक.........................

प्रतिलिपिः–सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय को (दो प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक........................... /
03 / उ0नि0 (IITF-13)–12 / 13
पटना, दिनांक.........................

प्रतिलिपिः–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक....383...... /
03 / उ0नि0 (IITF-13)–12 / 13
पटना, दिनांक....02-02-26....

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना / प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना / उद्योग निदेशक, बिहार, पटना / आय–व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय / अपर सचिव, (योजना शाखा), उद्योग विभाग, बिहार, पटना / सहायक उद्योग निदेशक, (योजना), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना / उप सचिव, प्रभारी प्रशाखा–01 (योजना), उद्योग विभाग / आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/01/26
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

(2)